

**EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
FOR
RUNNING OF JUICE CORNER AT HRI**



EOI NO: HRI/14/2026

DATE:08.04.2026

**Last date of submission of EOI
Opening of EOI**

**: 15.05.2026 (till 16:00 Hrs)
: 15.05.2026 (16:30 Hrs.)**

EXPRESSION OF INTEREST

Subject: Expression of Interest for running Juice Corner at HRI.

Harish Chandra Research Institute, Prayagraj invites Expressions of Interest from the eligible agency to run the following mentioned services / facility in HRI.

Name of Services	Area & Location	Period of Contract
Juice Corner	10 ft. X 10 ft. (approx.).	01 year (extendable)

Interested agencies should submit their Application / Expression of Interest on prescribed format on or before 15.05.2026 by 04.00 pm at HRI.

Address for Submission of hard copies:

Tender Box, near Library Main Gate
Harish Chandra Research Institute, Prayagraj
With the heading “Expression of Interest for Juice Corner”

FACILITIES TO BE EXTENDED BY INSTITUTE: -

- 1) The Institute will provide space (As mentioned in EOI) for running the facilities at designated location.
- 2) Electricity Connection with Meter. The electricity charges will be based on meter reading only and shall be borne by the service provider.

OBLIGATIONS OF THE AGENCY/ VENDOR: -

1. The service provider shall use only the space ear-marked to operate the facility and shall not use any other space for any other purpose.
2. The service provider is responsible for maintaining cleanliness in the area at all times. All waste generated should be collected in separate bins (to be kept by service provider) and delivered to the nearest garbage collection centre daily.

RENT AND OTHER CHARGES: -

1. The minimum rent will be charged @ Rs. **1,100/-** per month for running the shop.
2. The electricity charges will be based on the meter reading only to be submitted to institute on monthly basis.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS TO THE VENDOR

1. The juice corner shall remain open from 08:00 AM to 08:00 PM on all days of the week. It may remain closed on Sunday. Any closure on any other day shall require prior authorization from HRI.
2. Commitment for providing services at competitive rates on the campus.
3. If service provider sells items, there shall be no compromise in quality of items.
4. The service provider shall execute an agreement with the institute, which shall be liable to termination by giving one week's prior notice in the event that service provider is found involved in any unlawful, antisocial, anti-institute, or unauthorized activities.
5. Service provider will have to ensure utmost cleanliness, hygienic conditions and befitting campus like discipline at their allotted space and accessories at all times, wanton neglect of which, shall invite heavy fines including premature termination of the contract. Pest/rodent control should be done regularly.
6. The services by the services provider shall be open to use by the Institute beneficiaries only. As such, the vendors (service provider) shall neither invite / entertain nor harbor any users from outside at or around the allotted space. Violation of this expressed condition shall automatically land in termination of the contract.
7. The Institute has right to cancel Expression of Interest at any stage. Any kind of dispute will be resolved amicably and in this connection, the decision of Institute shall be final and binding upon both the parties.
8. The service provider must take permission from HRI to engage helpers etc.
9. No child labors shall be employed for services as per law.
10. All the rules and regulations of labor laws etc. shall be complied by the agency / service provider.
11. Acceptance of application / Expression of Interest will be intimated to the successful service provider through a letter of intent (LOI) duly signed by the authorized signatory of the institution.
12. No subletting / sub-contracting of work will be allowed at any stage. Service provider will have to give ethical practices certificate in prescribed Performa.
13. If found quarrelling or misbehaving with anyone or involved in any kind of anti-social activity, the contract agreement will be cancelled forthwith by the Institute and in such situation, agency has to vacate premises within 07 days.
14. Before submitting the EOI, the service provider may visit the Institute for site checking.
15. The Institute shall remain fully indemnified against any damage and any incidence arises by the service provider.
16. No item shall be sold above the MRP.
17. The service provider must take utmost care to not to sold the product whose expiry date remains less than 02 months except perishable items.
18. The other terms & conditions will be as per Annexure-I

TERMS AND CONDITIONS

1. The period of contract will be initially for one year that may extend further based on the performance and feedback from users. The contract will be reviewed annually, and upon satisfactory performance, will be extended by 1 year at a time.
2. The scheduled properties shall remain in absolute possession of HRI and the present agreement only allows the service provider to use the premises for agreed purposes which would be to provide juice corner services. The products may include all types of juices and shakes.
3. The service provider will have to pay the fixed monthly rent fee (for providing services as mentioned in Expression of Interest) to the Registrar HRI. The Service provider shall pay the agreed monthly rent by seventh day of every month through NEFT in the institute account. In case of late payment of monthly rent fees, the penalty will be charged @ Rs. 500/- per month.
4. The successful service provider shall be required to furnish **security deposit of Rs. 3,300/- in advance**, other than the monthly rent, to the Institute which shall be revalidated in case of execution of new contract or otherwise shall be returned by HRI within 30 days from the date of vacating the premises by the service provider.
5. If there is any damage to any property of HRI or any payments due to HRI or any demand from any authority to HRI arises regarding dues payable by the service provider, the HRI shall have right to forfeit the bank deposit held as security to release this payment.
6. The service provider shall start operating the work / services within 07 working days from the date of contract and shall not carry its business in any other part of the premises.
7. A committee constituted by the institute will make surprise check / monitoring of the services rendered by the service provider.
8. The service provider shall obtain prior permission of HRI, before carrying out any modifications of structures, installing counters and fixtures in the provided space.
9. Surprise Inspection of the allotted space shall be conducted by a team of experts / officials appointed by HRI in every month. All damages / breakages etc. noticed by this team will be set right by Service Provider within ten days of inspection failing which HRI will carry out repairs / renovation works and debit the cost to Service Provider and in case of non-payment same shall be adjusted from the Security Deposit of the agency.
10. The service provider shall pay the electricity charges as per actual consumption on meter-based reading.
11. Housekeeping of the allotted space will be done by the agency at their own cost.
12. The operation and timings of the facility is subject as per the directions of HRI.
13. If the service provider does not vacate the allotted space after expiry of the license period or after one month of notice period of termination of agreement, the agency is liable to pay a daily penal rent of Rs. 1000/- in addition to the other charges as applicable.

14. The service provider shall hand over the allotted space back along with infrastructure in original condition to the HRI
15. The service provider shall carry out only the specified approved activities around the allotted space and shall not carry any unspecified activities in contravention with the agreement conditions. If the Service Provider indulges in carrying out any unapproved activity, HRI is at liberty to cancel the agreement by giving one month written notice to the Service Provider.
16. The service provider shall maintain and develop the allotted space without causing any damages to its surroundings and the environment during the period of license.
17. That the service provider shall maintain and develop the allotted space as per the approved specifications of the HRI. In the event of contract renewal, execution of new contract, or by mutual agreement, the contract may be terminated by either party giving one (01) month's prior written notice.
18. HRI reserves the right to revoke the license after giving one month written notice to the Service Provider and also the right to inspect and control the development and operational work undertaken by the Service Provider at all times and the Service Provider shall obey the orders and directions issued by the HRI.
19. Service provider shall carry out the activities in allotted space as per the law, regulations of HRI and the Government for the time being in force and shall not carry out the activities in contravention of the same and in the event of any violation of the rules, regulations, bylaws of the HRI and law of the country, the first party is at liberty to revoke the license without assigning any reason.
20. Complete hygiene and cleanliness have to be maintained in the allotted space. Any litter thrown anywhere in the area due to the activities of the Service Provider has to be cleared / collected by the Service Provider only.
21. The Service Provider shall ensure that no Cigarette and other Tobacco product shall be sold from the premises, which is prohibited to be sold within the premises of an educational institution.
22. All the Juice items should be served fresh and cold, as appropriate. The vendor should ensure that no stale Juice items are sold.
23. In case the vendor intends to introduce any additional items for sale, prior approval from HRI shall be mandatory.
24. It is mandatory that norms of hygiene as prescribed by FSSAI be maintained by all services dealing with food. Violation of the above can lead to immediate closure. Purified UV and RO treated water should be supplied for drinking purposes wherever required.
25. It is the sole responsibility of the vendor to collect the garbage and dispose of appropriately. Under no circumstances, the food waste shall be disposed through the sewage pipes or the drains.
26. Only eco-friendly and biodegradable materials shall be used for serving purposes. Use of single use plastic items for serving or packaging in any form is strictly prohibited. All items/equipment/storage/display must be contained within the allotted area.

If the agency / service provider agreeing to the above terms and conditions, satisfying the above eligibility conditions and interested in running the above activities should give the following documents and information along with the Expression of Interest:

- (a) Company profile (background) including contact details (address, Telephone, Email ID, detail of branches if any) in prescribed format (Annexure-II) and other relevant document.
- (b) Annexure - III

The Expression of Interest (EOI) complete in all respects with stipulated documents, should be submitted at:

**Tender Box,
Near Library main Gate
Harish-Chandra Research Institute
Chhatnag Road, Jhunsi
Prayagraj, Uttar Pradesh
211019**

in a sealed cover by super scribing the envelop with 'Expression of Interest (EOI) for RUNNING OF JUICE CORNER AT HRI'.

All papers of the Expression of Interest (EOI) should be signed and stamped by the authorized signatory of the agency / service provider.

In case of discrepancy between English & Hindi version, English shall prevail.

Expression of Interest should reach the above address on or before 04:00 PM of Date: 15.05.2026 and the date of opening of the EOI will be 15.05.2026 at 04:30 PM. The Expression of Interest received after the last date and time shall not be entertained. HRI shall not be responsible for postal delay / loss.

(On the letter head of the firm)
PERFORMA FOR APPLICATION

Personal Information:

1.	Name of Vendor	
2.	Complete Address of the Vendor	
3.	Date of Registration of Firm	
4.	PAN Number	
5.	Month and year of Establishment	
6.	Authorized Distributor / Franchise / Supplier of (Specify brand and attach certificate) if applicable	
7.	Email id and mobile number	
8.	Other information	

Details of work experience: (contract copy to be enclosed)

S.No.	Worked With (Name of Organization)	Period	
		From	To

I/We hereby submit the proposal for running a shop at Harish Chandra Research Institute, Prayagraj. I/We undertake to agree to all terms and conditions of the document. It is certified that our firm fulfils the eligibility criteria mentioned by the Institute in EOI. Supporting documents of all the above information are also attached

Date:

Signature of the Vendor with stamp / seal

Documents to be attached:

- PAN details
- Firm/Company Registration Certificate.
- GST Certificate, if any.
- Other Statutory Registrations/Licenses, if any.
- Experience details, along with supporting contract copies
- Valid License to sell the food items, if any.
- Any other document as required under other provisions of this EOI document and not mentioned herein above.

Format for submission of Quotation

Quotation Number:

Dated:

S.No	Component	Rent Amount (INR) per month
1	Proposed Rent to be paid to HRI for running a Juice Corner at HRI	
	In words	

The minimum rent will be Rs. 1,100/- per month

Signature of the Vendor with stamp / seal

Note: The bids are evaluated on following basis

Evaluations Criteria for EOI

The contract shall be awarded to the responsive bidder quoting the highest rent (H1 bidder).

In the event that two or more bidders quote the same highest rent, resulting in a tie for H1, the selection shall be decided on the basis of following evaluation parameters:

Particulars for evaluation:

A) Number of years in operation (attach registration certificate): Max Marks 50

- | | | |
|----|------------------|----------|
| 1. | 01 years | 30 Marks |
| 2. | 02 Years | 40 Marks |
| 3. | 03 Years & Above | 50 Marks |

B) Number of Units in operation (provide list of units with address) Max Marks 50

- | | | |
|----|---------------|----------|
| 1. | 1 | 30 Marks |
| 2. | 2-3 | 40 Marks |
| 3. | Above 3 units | 50 Marks |

Total Score: 100

**-Sd-
(Registrar)**

Ethical Practices Certificate (Performa)

(On Firm's Letterhead or self-acknowledgement)

I/ We, _____, Proprietor/ Authorized Signatory of M/s _____
_____, hereby certify that:

1. We shall maintain integrity, transparency and fairness in all dealings with HRI.
2. We shall abide by all the terms and conditions mentioned in EOI in case, we are found H1 and eligible for running of Juice Corner.
3. We shall not engage in any corrupt, fraudulent, coercive or unethical practices.
4. No inducement, gift, commission or gratification has been offered to any official of HRI in connection with this EOI.
5. We shall comply with all applicable laws including labour laws, food safety regulations (FSSAI), environmental and local regulations.
6. We shall not sublet or subcontract the allotted space.
7. We shall strictly adhere to hygiene, eco-friendly serving norms, and prohibition of plastic as specified in the EOI.
8. We understand the violation of ethical practices may lead to termination of contract and blacklisting.

This certificate is issued voluntarily in compliance with the EOI conditions.

Date:
Place:

Signature:
Name:
Seal of Firm
With address

रुचि की अभिव्यक्ति/Expression of Interest

विषय: HRI में जूस कॉर्नर चलाने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति।

हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज, HRI में निम्नलिखित सेवाओं/सुविधाओं के संचालन हेतु पात्र एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

सेवाओं के नाम	क्षेत्र और स्थान	अनुबंध की अवधि
जूस कॉर्नर	10 ft. X 10 ft. (approx.). HRI	01 वर्ष (विस्तार योग्य)

इच्छुक एजेंसियां अपना आवेदन/रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) निर्धारित प्रारूप में 15.05.2026 को या उससे पहले शाम 04:00 बजे तक हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज में जमा करें।

रुचि की अभिव्यक्ति को जमा करने का पता:

निविदा पेटी, पुस्तकालय के मुख्य द्वार के पास
हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज
शीर्षक के साथ: “जूस कॉर्नर के लिए रुचि की अभिव्यक्ति”

संस्थान द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं: -

- 1) संस्थान, निर्धारित स्थान पर जूस कॉर्नर चलाने के लिए जगह (जैसा कि EOI में बताया गया है) उपलब्ध कराएगा।
- 2) मीटर के साथ बिजली का कनेक्शन। बिजली का शुल्क केवल मीटर रीडिंग के आधार पर होगा और इसका भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।

एजेंसी/वेंडर के दायित्व: -

1. सेवा प्रदाता सुविधा संचालित करने के लिए केवल उसी जगह का उपयोग करेगा जो इसके लिए निर्धारित की गई है, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी अन्य जगह का उपयोग नहीं करेगा।
2. सेवा प्रदाता हर समय उस क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। जूस कॉर्नर के निकले हुये सभी प्रकार के कचरे को अलग-अलग डिब्बों (जो सेवा प्रदाता द्वारा रखे जाएंगे) में इकट्ठा किया जाना चाहिए और प्रतिदिन निकटतम कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाना चाहिए।

किराया और अन्य शुल्क: -

1. दुकान चलाने के लिए न्यूनतम किराया @1,100/- रुपये प्रति माह लिया जाएगा।
2. बिजली का शुल्क केवल मीटर रीडिंग के आधार पर होगा, जिसे मासिक आधार पर संस्थान को जमा करना होगा।

विक्रेता के लिए सामान्य नियम और शर्तें

1. जूस कॉर्नर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 08:00 बजे से रात 08:00 बजे तक खुला रहेगा। रविवार को यह बंद रह सकता है। किसी अन्य दिन बंद रखने के लिए HRI से पहले से अनुमति लेना आवश्यक होगा।
2. कैम्पस में प्रतिस्पर्धी दरों पर सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता।
3. यदि सेवा प्रदाता कोई वस्तु बेचता है, तो वस्तुओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
4. सेवा प्रदाता संस्थान के साथ एक समझौता करेगा, जिसे एक सप्ताह का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, यदि सेवा प्रदाता किसी भी गैर-कानूनी, असामाजिक, संस्थान-विरोधी या अनधिकृत गतिविधियों में शामिल पाया जाता है।
5. सेवा प्रदाता को अपने आवंटित स्थान और उपकरणों पर हर समय अत्यधिक स्वच्छता, स्वास्थ्यकर स्थितियाँ और कैम्पस के अनुरूप अनुशासन सुनिश्चित करना होगा; इसकी जानबूझकर की गई उपेक्षा पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जिसमें अनुबंध को समय से पहले समाप्त करना भी शामिल है। कीट/चूहा नियंत्रण नियमित रूप से किया जाना चाहिए।
6. सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ केवल संस्थान के लाभार्थियों के उपयोग के लिए खुली रहेंगी। इस प्रकार, विक्रेता (सेवा प्रदाता) आवंटित स्थान पर या उसके आसपास बाहर के किसी भी उपयोगकर्ता को न तो आमंत्रित करेगा/मनोरंजन प्रदान करेगा और न ही उन्हें पनाह देगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
7. संस्थान को किसी भी चरण में 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' (Expression of Interest) को रद्द करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा और इस संबंध में, संस्थान का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
8. सेवा प्रदाता को सहायक स्टाफ आदि रखने के लिए HRI से अनुमति लेनी होगी।
9. कानून के अनुसार, सेवाओं के लिए किसी भी बाल श्रमिक को काम पर नहीं रखा जाएगा।
10. श्रम कानूनों आदि के सभी नियमों और विनियमों का पालन एजेंसी/सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।
11. आवेदन/अभिरुचि की अभिव्यक्ति की स्वीकृति के बारे में सफल सेवा प्रदाता को एक 'आशय पत्र' (LOI) के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिस पर संस्थान के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के विधिवत हस्ताक्षर होंगे।
12. किसी भी चरण में कार्य का कोई भी उप-पट्टा (subletting)/उप-अनुबंध (sub-contracting) करने की अनुमति नहीं होगी। सेवा प्रदाता को निर्धारित प्रपत्र (Performa) में 'नैतिक आचरण प्रमाण पत्र' देना होगा।
13. यदि किसी के साथ झगड़ा करते हुए, दुर्व्यवहार करते हुए, या किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि में शामिल पाए जाते हैं, तो संस्थान द्वारा अनुबंध समझौता तत्काल रद्द कर दिया जाएगा; और ऐसी स्थिति में, एजेंसी को 07 दिनों के भीतर परिसर खाली करना होगा।

14. EOI जमा करने से पहले, सेवा प्रदाता साइट की जाँच के लिए संस्थान का दौरा कर सकता है।
15. सेवा प्रदाता के कारण होने वाली किसी भी क्षति या किसी भी घटना के संबंध में संस्थान पूरी तरह से क्षतिपूर्ति-मुक्त (indemnified) रहेगा।
16. कोई भी उत्पाद MRP से अधिक मूल्य पर नहीं बेची जाएगा।
17. सेवा प्रदाता को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वह ऐसे उत्पाद न बेचे जिनकी समाप्ति तिथि (expiry date) 02 महीने से कम बची हो, सिवाय उन उत्पादों के जो कि जल्दी खराब होने वाले (perishable) हों।
18. अन्य नियम और शर्तें अनुलग्नक-I (Annexure-I) के अनुसार होंगी।

नियम और शर्तें

1. अनुबंध की अवधि शुरू में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन और उपयोगकर्ताओं से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध की वार्षिक समीक्षा की जाएगी, और संतोषजनक प्रदर्शन होने पर, इसे एक बार में एक (1) वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।
2. निर्धारित संपत्तियां एच. आर. आई. के पूर्ण अधिकार में रहेंगी, और यह वर्तमान समझौता सेवा प्रदाता को परिसर का उपयोग केवल सहमत उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति देता है, जो कि जूस कॉर्नर सेवाएं प्रदान करना होगा। उत्पादों में सभी प्रकार के जूस और शेक शामिल हो सकते हैं।
3. सेवा प्रदाता को रजिस्ट्रार, एच. आर. आई. को निर्धारित मासिक किराया शुल्क (रुचि की अभिव्यक्ति में उल्लिखित सेवाओं को प्रदान करने के लिए) का भुगतान करना होगा। सेवा प्रदाता प्रत्येक माह की सातवीं तारीख तक संस्थान के खाते में NEFT के माध्यम से सहमत मासिक किराए का भुगतान करेगा। मासिक किराया शुल्क के विलंबित भुगतान के मामले में, @ 500/- रुपये प्रति माह की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।
4. सफल सेवा प्रदाता को संस्थान को मासिक किराए के अलावा, अग्रिम रूप से 3,300/- रुपये की सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) जमा करनी होगी। यदि कोई नया अनुबंध निष्पादित होता है तो इस राशि को पुनः मान्य किया जाएगा, अन्यथा सेवा प्रदाता द्वारा परिसर खाली करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर HRI द्वारा इसे वापस कर दिया जाएगा।
5. यदि एच. आर. आई. की किसी संपत्ति को कोई नुकसान होता है, या HRI को कोई भुगतान बकाया है, या सेवा प्रदाता द्वारा देय बकाया के संबंध में किसी भी प्राधिकरण से HRI पर कोई मांग आती है, तो एच. आर. आई. को इस भुगतान को जारी करने के लिए सुरक्षा के रूप में रखी गई बैंक जमा राशि को जब्त करने का अधिकार होगा।
6. सेवा प्रदाता अनुबंध की तारीख से 07 कार्य दिवसों के भीतर कार्य/सेवाएं संचालित करना शुरू कर देगा, और परिसर के किसी अन्य हिस्से में अपना व्यवसाय नहीं करेगा।
7. संस्थान द्वारा गठित एक समिति सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का औचक निरीक्षण/निगरानी करेगी।
8. सेवा प्रदाता को आवंटित स्थान में संरचनाओं में कोई भी संशोधन करने, या काउंटर और फिक्स्चर स्थापित करने से पहले एच. आर. आई. की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
9. आवंटित स्थान का औचक निरीक्षण एच. आर. आई. द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों/अधिकारियों की एक टीम द्वारा प्रत्येक माह किया जाएगा। इस टीम द्वारा देखे गए सभी नुकसान/टूट-फूट आदि को सर्विस प्रोवाइडर निरीक्षण के दस दिनों के भीतर ठीक करेगा; ऐसा न करने पर एच. आर. आई. मरम्मत/नवीनीकरण का काम खुद करवाएगा और उसका खर्च सर्विस प्रोवाइडर के खाते में डाल देगा, और भुगतान न होने की स्थिति में, यह राशि एजेंसी की सिक्योरिटी डिपॉज़िट (जमानत राशि) से काट ली जाएगी।

10. सेवा प्रदाता बिजली का बिल मीटर रीडिंग के आधार पर, वास्तविक खपत के अनुसार चुकाएगा।
11. आवंटित जगह की हाउसकीपिंग (साफ-सफाई) एजेंसी अपने खर्च पर करेगी।
12. इस सुविधा का संचालन और समय एच. आर. आई. के निर्देशों के अनुसार होगा।
13. यदि लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद, या अनुबंध समाप्त करने के लिए दिए गए एक महीने के नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद भी सर्विस प्रोवाइडर आवंटित जगह खाली नहीं करता है, तो एजेंसी पर लागू अन्य शुल्कों के अलावा, प्रतिदिन 1000/- रुपये का जुर्माना (पेनल रेंट) भी लगाया जाएगा।
14. सर्विस प्रोवाइडर आवंटित जगह को, वहाँ मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) सहित, उसी मूल स्थिति में एच. आर. आई. को वापस सौपेगा।
15. सर्विस प्रोवाइडर आवंटित जगह के आसपास केवल वही गतिविधियाँ करेगा जो विशेष रूप से स्वीकृत हैं, और अनुबंध की शर्तों के विपरीत कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जो स्वीकृत न हो। यदि सर्विस प्रोवाइडर कोई भी अस्वीकृत गतिविधि करता है, तो एच. आर. आई. के पास यह अधिकार होगा कि वह सर्विस प्रोवाइडर को एक महीने का लिखित नोटिस देकर अनुबंध रद्द कर दे।
16. लाइसेंस की अवधि के दौरान, सर्विस प्रोवाइडर आवंटित जगह का रखरखाव और विकास इस तरह से करेगा कि उसके आसपास के क्षेत्र और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे।
17. सर्विस प्रोवाइडर आवंटित जगह का रखरखाव और विकास एच. आर. आई. द्वारा स्वीकृत विशिष्टताओं (specifications) के अनुसार करेगा। अनुबंध के नवीनीकरण, नए अनुबंध के निष्पादन, या आपसी सहमति की स्थिति में, कोई भी पक्ष एक (01) महीने का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।
18. एच. आर. आई. के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह सर्विस प्रोवाइडर को एक महीने का लिखित नोटिस देकर लाइसेंस रद्द कर दे; साथ ही, एच. आर. आई. के पास यह अधिकार भी है कि वह किसी भी समय सर्विस प्रोवाइडर द्वारा किए जा रहे विकास और संचालन कार्यों का निरीक्षण और नियंत्रण करे, और सर्विस प्रोवाइडर एच. आर. आई. द्वारा जारी किए गए आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा।
19. सेवा प्रदाता आवंटित स्थान पर गतिविधियाँ, एच. आर. आई. और सरकार के उस समय लागू कानूनों और नियमों के अनुसार ही करेगा; वह इन कानूनों और नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई गतिविधि नहीं करेगा। यदि एच. आर. आई. के नियमों, विनियमों, उप-नियमों या देश के कानूनों का कोई भी उल्लंघन होता है, तो प्रथम पक्ष (First Party) बिना कोई कारण बताए लाइसेंस रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
20. आवंटित स्थान पर पूर्ण स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई बनाए रखना अनिवार्य है। सेवा प्रदाता की गतिविधियों के कारण यदि उस क्षेत्र में कहीं भी कोई कूड़ा-कचरा फैलता है, तो उसे साफ़ करने या इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी केवल सेवा प्रदाता की ही होगी।
21. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि परिसर से कोई भी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा, जिनकी बिक्री किसी भी शैक्षणिक संस्थान के परिसर के भीतर प्रतिबंधित है।

22. सभी जूस उत्पाद ताज़े और ठंडे (जैसा उचित हो) दिये जाने चाहिए। विक्रेता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बासी जूस उत्पाद न बेचा जाए।

23. यदि विक्रेता बिक्री के लिए कोई अतिरिक्त उत्पाद की बिक्री करना चाहता है, तो एच. आर. आई. से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

24. यह अनिवार्य है कि FSSAI द्वारा निर्धारित स्वच्छता के मानदंडों का पालन भोजन से संबंधित सभी सेवाओं द्वारा किया जाए। उपरोक्त नियमों के उल्लंघन पर सेवा को तत्काल बंद किया जा सकता है। जहाँ भी आवश्यक हो, पीने के उद्देश्य से शुद्ध UV और RO उपचारित पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए।

25. कूड़ा इकट्ठा करने और उसका उचित निपटान करने की पूरी ज़िम्मेदारी विक्रेता की होगी। किसी भी परिस्थिति में, भोजन के कचरे का निपटान सीवेज पाइप या नालियों के माध्यम से नहीं किया जाएगा।

26. परोसने के उद्देश्य से केवल पर्यावरण-अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल (जैव-अपघटनीय) सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा। परोसने या पैकेजिंग के लिए किसी भी रूप में 'सिंगल-यूज़ प्लास्टिक' (एकल-उपयोग प्लास्टिक) आइटम का उपयोग सख्त वर्जित है। सभी आइटम/उपकरण/भंडारण/प्रदर्शन सामग्री आवंटित क्षेत्र के भीतर ही रखी जानी चाहिए।

यदि कोई एजेंसी/सेवा प्रदाता उपरोक्त नियमों और शर्तों से सहमत है, उपरोक्त पात्रता शर्तों को पूरा करता है, और उपरोक्त गतिविधियों को संचालित करने में रुचि रखता है, तो उसे 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' (Expression of Interest) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ और जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए:

(a) कंपनी प्रोफ़ाइल (पृष्ठभूमि), जिसमें संपर्क विवरण (पता, टेलीफ़ोन, ईमेल ID, यदि कोई शाखा है तो उसका विवरण) निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II) में और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ शामिल हों।

(b) अनुलग्नक - III

'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' (EOI), जो सभी दृष्टियों से पूर्ण हो और जिसमें निर्धारित दस्तावेज़ संलग्न हों, उसे निम्नलिखित पते पर जमा किया जाना चाहिए:

निविदा पेटी,
पुस्तकालय के मुख्य द्वार के पास
हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान
छतनाग रोड, झूंसी,
प्रयागराज - 211019

इसे एक सीलबंद लिफाफे में रखकर जमा करें, जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा हो: 'एच. आर. आई. में जूस कॉर्नर के संचालन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI)'।

'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' (EOI) के सभी कागज़ातों पर एजेंसी/सेवा प्रदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए। 'Expression of Interest' (EOI) ऊपर दिए गए पते पर दिनांक 15.05.2026 को या उससे पहले शाम 04:00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए, और EOI खोलने की तारीख 15.05.2026 को शाम 04:30 बजे होगी। अंतिम तारीख और समय के बाद प्राप्त होने वाले 'Expression of Interest' पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक में देरी या खो जाने के लिए एच. आर. आई. ज़िम्मेदार नहीं होगा।

(फर्म के लेटर हेड पर)
आवेदन का प्रारूप

व्यक्तिगत जानकारी:

	विक्रेता का नाम	
	विक्रेता का पूरा पता	
	फर्म के पंजीकरण की तिथि	
	PAN नंबर	
	स्थापना का महीना और वर्ष	
	अधिकृत वितरक / फ्रेंचाइजी / आपूर्तिकर्ता (ब्रांड का नाम बताएं और प्रमाण पत्र संलग्न करें) यदि लागू हो	
	ईमेल ID और मोबाइल नंबर	
	अन्य जानकारी	

कार्य अनुभव का विवरण: (अनुबंध की प्रति संलग्न की जानी है)

क्र.सं.	किसके साथ काम किया (संगठनों के नाम)	अवधि	
		से	तक

मैं/हम इसके द्वारा हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, प्रयागराज में एक दुकान चलाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मैं/हम इस दस्तावेज़ के सभी नियमों और शर्तों से सहमत होने का वचन देते हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म EOI में संस्थान द्वारा उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती है। उपरोक्त सभी जानकारी के समर्थन में दस्तावेज़ भी संलग्न हैं।

दिनांक:

विक्रेता के हस्ताक्षर (मुहर/सील सहित)

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:

- PAN विवरण

- फर्म/कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- GST प्रमाण पत्र, यदि कोई हो।
- अन्य वैधानिक पंजीकरण/लाइसेंस, यदि कोई हो।
- अनुभव का विवरण, साथ में सहायक अनुबंध की प्रतियां
- खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए वैध लाइसेंस, यदि कोई हो।
- कोई अन्य दस्तावेज़, जैसा कि इस EOI दस्तावेज़ के अन्य प्रावधानों के तहत आवश्यक हो और जिसका उल्लेख ऊपर न किया गया हो।

कोटेशन जमा करने का प्रारूप

कोटेशन संख्या:

दिनांक:

क्र.सं.	घटक / Component	किराया राशि (INR) प्रति माह
1	एच.आर.आई. में जूस कॉर्नर चलाने के लिए HRI को भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित किराया	
	शब्दों में:	

न्यूनतम किराया रुपये 1,100/- प्रति माह होगा।

विक्रेता के हस्ताक्षर (मुहर/सील सहित)

नोट: बोलियों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:

EOI के लिए मूल्यांकन मानदंड

अनुबंध उस बोलीदाता को दिया जाएगा जो सबसे अधिक किराया (H1 बोलीदाता) बताएगा।

यदि दो या दो से अधिक बोलीदाता समान रूप से सबसे अधिक किराया बताते हैं, जिसके परिणामस्वरूप H1 के लिए टाई हो जाती है, तो चयन निम्नलिखित मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर तय किया जाएगा:

मूल्यांकन के लिए विवरण:

A) संचालन के वर्षों की संख्या (पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें): अधिकतम अंक 50

- | | | |
|----|----------------------|--------|
| 1. | 01 वर्ष | 30 अंक |
| 2. | 02 वर्ष | 40 अंक |
| 3. | 03 वर्ष और उससे अधिक | 50 अंक |

B) संचालन में इकाइयों की संख्या (पते सहित इकाइयों की सूची प्रदान करें) अधिकतम अंक 50

- | | | |
|----|-------------------|--------|
| 1. | 1 | 30 अंक |
| 2. | 2-3 | 40 अंक |
| 3. | 3 से अधिक इकाइयाँ | 50 अंक |

कुल स्कोर: 100

-Sd-
(Registrar)

नैतिक आचरण प्रमाण पत्र (प्रारूप)
(फर्म के लेटरहेड पर या स्व-घोषणा के रूप में)

मैं/हम, _____, M/s _____ के प्रोपराइटर/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि:

1. हम एच. आर. आई. के साथ अपने सभी लेन-देन में ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखेंगे।
2. यदि हमें H1 (सर्वोच्च बोलीदाता) पाया जाता है और जूस कॉर्नर चलाने के लिए पात्र घोषित किया जाता है, तो हम EOI में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।
3. हम किसी भी प्रकार की भ्रष्ट, धोखाधड़ी वाली, ज़बरदस्ती वाली या अनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।
4. इस EOI के संबंध में HRI के किसी भी अधिकारी को कोई प्रलोभन, उपहार, कमीशन या अनुचित लाभ की पेशकश नहीं की गई है।
5. हम सभी लागू कानूनों का पालन करेंगे, जिसमें श्रम कानून, खाद्य सुरक्षा नियम (FSSAI), पर्यावरण और स्थानीय नियम शामिल हैं।
6. हम आवंटित स्थान को किसी अन्य को उप-किराए पर नहीं देंगे और न ही उसका उप-अनुबंध करेंगे।
7. हम स्वच्छता, पर्यावरण-अनुकूल सेवा मानकों और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी उन सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे, जो EOI में निर्दिष्ट किए गए हैं।
8. हम समझते हैं कि नैतिक आचरण के नियमों का उल्लंघन करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है और हमें काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाला जा सकता है।

यह प्रमाण पत्र EOI की शर्तों के अनुपालन में स्वेच्छा से जारी किया गया है।

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर:

नाम:

फर्म की मुहर

पते सहित